

न्यायालय :- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड मध्य-प्रदेश

प्रकरण क्रमांक 133/2006 सत्रवाद
संस्थापित दिनांक 03-07-2006

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र
मौ जिला भिण्ड म0प्र0।

-----अभियोजन

बनाम

प्रदीप कुमार शर्मा उर्फ हरेन्द्र पुत्र ब्रजकिशोर
शर्मा उम्र 35 वर्ष। निवासी ग्राम तारोली, थाना
मौ जिला भिण्ड म0प्र0।

-----अभियुक्त

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद श्री आर.बी.यादव
के न्यायालय के मूल आपराधिक प्र0क0 24/2006 इ0फौ0
से उदभूत यह सत्र प्रकरण क्र0 133/2006

शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह गुर्जर।
अभियुक्त द्वारा श्री के0सी0 उपाध्याय अधिवक्ता।

//नि-र्ण-य//

//आज दिनांक 29-03-2016 को घोषित किया गया//

01. वर्तमान में विचारित किये जा रहे आरोपी प्रदीप कुमार शर्मा का विचारण धारा 302 भा0द0सं0 एवं धारा 25/27 आयुध अधिनियम के अपराध के आरोप के संबंध में किया जा रहा है। उस आरोप है कि दिनांक 19.10.2005 को रात्रि करीब 21:00 बजे थाना मौ क्षेत्र में बेहट रोड मुन्ना ढावा में मृतक अन्नू उर्फ अभिमन्यु की मृत्यु कारित करने का सामान्य आशय निर्मित किया जिसके अग्रसरण में आरोपी ने 315 बोर के कट्टे से फायर कर साशय अथवा जानते हुए मृत्यु कारित कर उसकी हत्या की जिसमें कि अन्य सहआरोपीगण ने उसका सहयोग किया। उस पर यह भी आरोप है कि उक्त दिनांक समय स्थान पर वह अपने

आधिपत्य में एक 315 बोर का कट्टा व एक चला हुआ राउण्ड बिना वैध अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से रखे हुए पाया गया।

02. प्रकरण में सहआरोपीगण बृजकिशोर, इन्दर, गुलाब के संबंध में पूर्व विचारण कर दिनांक 29.10.2012 को निर्णय घोषित किया जा चुका है जिसमें कि उक्त आरोपीगण को दोषसिद्ध ठहराते हुए आजीवन कारावास से दंडित किया गया है।

03. अभियोजन प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से रहा है कि दिनांक 19.10.2005 की रात फरियादी मनोज कुमार सोसायटी से खाद का पता लगाकर ग्राम तारोली को टैक्टर लेने के लिए जा रहा था तभी रास्ते में मुन्ना ढावा पर वह और उसका भाई अन्नू उर्फ अभिमन्यु रात के 09:00 बजे रुके और पानी पीने लगे तभी पुरानी रंजिश पर आरोपी प्रदीप उर्फ हरेन्द्र के साथ अन्य सहआरोपीगण बृजकिशोर, इन्दर, गुलाब आए और उसके भाई अन्नू से कहा कि बड़ा नेता बनता है आज उसे नहीं छोड़ेंगे और आरोपी इंदर ने उसके भाई अन्नू के बाल पकड़ लिए तथा आरोपी गुलाब और बृजकिशोर ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिये और आरोपी प्रदीप उर्फ हरेन्द्र ने उसके गले पर कट्टा लगाकर जान से मारने की नियत से फायर किया जिससे अन्नू फायर लगते से ही गिर गया और उसके गले से खून बहने लगा। पास ही में नरेश शर्मा व सूर्यप्रकाश का मकान बना था उसके चिल्लाने पर उक्त लोग दौड़कर आ गए। वह अपने भाई को लेकर थाना मौ रिपोर्ट करने रवाना तो रास्ते में उसके भाई की मृत्यु हो गई। उक्त सूचना पर पुलिस थाना मौ में मार्ग क्रमांक 16/05 प्र.पी. 4 के अनुसार कायम किया गया। जिस पर से अपराध क्रमांक 178/2005 अंतर्गत धारा 302, 34 भा0दं0वि0 का कायम किया गया। प्रकरण विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना मृतक के शव के संबंध में सफीनाफार्म जारी कर लाश पंचायतनामा बनाया गया। शव का पोस्टमार्टम कराया गया एवं शव को उसके परिजनों को सुपुर्द किया गया। घटनास्थल का नक्शामौका प्र.पी. 7 बनाया गया, घटनास्थल से खून आलूदा मिट्टी, सादा मिट्टी, एक चले हुए राउंड की बुलेट खून लगी हुई तथा एक जोड़ी चप्पल जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र.पी. 9 बनाया गया। फरियादी एवं साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए। आरोपी बृजकिशोर की गिरफ्तारी की गई और उसके विरुद्ध एवं अन्य सहआरोपीगण के विरुद्ध फरारी में अभियोगपत्र पेश किया गया। तथा आरोपी प्रदीप उर्फ हरेन्द्र की गिरफ्तारी होने पर उसके मेमोरेण्डम कथन के आधार पर एक कट्टा 315 बोर का व एक चला हुआ राउण्ड का खोखा उसके घर के आंगन से डली छप्पर से दिनांक 10.03.06 को जप्त किया गया। जप्तशुदा अग्न्येशस्त्र को एफ.एस.एल. परीक्षण हेतु भेजा गया। उक्त आरोपी के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति ली जाकर उसके विरुद्ध पूरक अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जो कि उपार्पण होने के उपरांत माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय

के आदेशानुसार विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

04. विचारित किए जा रहे आरोपी के विरुद्ध मेरे पूर्व विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रथम दृष्टिया धारा 302 भा0दं0वि0 एवं धारा 25/27 आयुध अधिनियम का आरोप पाया जाने से आरोप लगाकर पढकर सुनाया समझाया गया। आरोपी ने जुर्म अस्वीकार किया उसकी प्ली लेखबद्ध की गई।

05. दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त परीक्षण में आरोपी ने स्वयं को घटना के समय घटनास्थल पर न होकर तिलोरी गांव में होना बताते हुए झूठा फंसाया जाना अभिकथित किया है।

06. आरोपी के विरुद्ध आरोपित अपराध के संबंध में विचारणीय यह है कि:-

1. क्या दिनांक 19.10.2005 को रात्रि करीब 21:00 बजे थाना मौ क्षेत्र में बेहट रोड मुन्ना ढावा में अन्नू उर्फ अभिमन्यु की मृत्यु कारित हुई?
2. क्या मृतक अन्नू उर्फ अभिमन्यु की मृत्यु सदोष मानव वध की कोटि का है?
3. क्या आरोपी के द्वारा सआशय या जानबूझकर मृतक की मृत्यु कारित कर हत्या की गई?
4. क्या आरोपी उक्त दिनांक समय स्थान पर वह अपने आधिपत्य में एक 315 बोर का कट्टा व एक चला हुआ राउण्ड बिना वैध अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से रखे हुए पाया गया?

-: सकारण निष्कर्ष:-

बिन्दु क्रमांक 1 व 2 :-

07. अभियोजन साक्षी संजय जैन अ0सा0 3 के द्वारा दिनांक 28.10.2005 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मौ में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ दौरान उक्त दिनांक को थाना मौ के आरक्षक अजीतसिंह नम्बर 490 द्वारा मृतक अभिमन्यु उर्फ अन्नू के शव को परीक्षण हेतु लाए जाने पर जिसके साथ मृतक का भाई मनोज शर्मा भी आया था। उसके द्वारा मृतक अभिमन्यु पुत्र लक्ष्मीनारायण शर्मा उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम तारोली का शव परीक्षण सुबह 09 बजकर 05 मिनट पर प्रारंभ किया था। उक्त साक्षी के अनुसार मृतक का शरीर चित अवस्था में था, उसके दोनों हाथ व पैर पेल थे और दोनों मुठ्ठियाँ खुली हुई थी, मुँह बंद था, आँखे आधी खुली हुई थी। मृतक सिलेटी रंग का पैंट और सफेद शर्ट जिस पर काली धारिया थी, सफेद बनियान और सिलेटी रंग की चड्डी पहने हुए था। मृतक के कपड़ों पर खून के

धब्बे थे और शरीर अकड़ा हुआ था। मृतक के शरीर पर निम्न चोटों के निशान पाए गए—(i) प्रवेश घाँव अण्डाकार साइज में था जिसका आकार 3 से.मी. चौड़ा और 4 से.मी. लम्बा था जो कि मृतक की गर्दन के दाहिनी तरफ गर्दन की इंटीरियर और लेटरल सफेस के मिलान पर दाहिनी केलविकल हड्डी के मिडीयल पार्ट के 5 से.मी. ऊपर था। प्रवेश घाँव के किनारों पर कालापन था। प्रवेश घाँव की दिशा दाहिनी से बाँए तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ और आगे से पीछे की तरफ थी। प्रवेश घाँव त्वचा के नीचे का हिस्सा (सेव कूटेनियश टिसू) मांस पेशियों और धमनियों को नष्ट करता हुआ निकासी घाँव से मिला हुआ था। (i) निकासी घाँव जिसका आकार 1 से.मी. गुणा 1 से.मी. जो कि गोलाकार जो कि बाँए बाजू के पीछे के हिस्से पर कोहनी से करीब 15 से.मी. ऊपर था जिसकी सतह बाहर की तरफ मुड़ी हुई थी। मृतक के कपड़े साफ़ी और शर्ट जिस पर छेद का निशान था उसको हरे पेंसिल से मार्क कर के और कपड़ों को शील कर के आरक्षक को को सौंप गया था।

08. उक्त साक्षी के अनुसार मृतक का शारीरिक हाल— मृतक हेल्दी था, मृतक की खोपड़ी, मस्तिष्क हेल्दी थी, मृतक की स्वांस नली, फेंफड़े हेल्दी और पेल थे, मृतक का हृदय हेल्दी और खाली था। मृतक के उदर के पर्दे, आँतों की झिल्ली, मुँह व ग्रासनली हेल्दी थी। मृतक का आमाशय हेल्दी और खाली था। मृतक की छोटी आँत हेल्दी और पेल थी जिसमें पचा हुआ भोजन और गेस थी। मृतक की बड़ी आँत हेल्दी और पेल थी जिसमें फीकल मेटर और गैस थी। मृतक का यकृत और प्लीहा, गुर्दा हेल्दी और पेल थे। मृतक का मूत्राशय हेल्दी और खाली था। मृतक की भीतरी और बाहरी जननेन्द्रियाँ हेल्दी थी। मृतक को उक्त चोटें मरने से पहले की पहुँचाई हुई थी। उक्त चोटें अग्नेयशस्त्र से पहुँचाई गई थी और परीक्षण के 24 घण्टे के अंदर की थी। साक्षी के द्वारा अपने अभिमत में बताया है कि मृतक की मृत्यु का कारण खून का ज्यादा रिसाव होना है जो कि धमनियों के नष्ट होने की बजह से हुआ था। मृतक के मरने की अवधि 4 से 24 घण्टे के अंदर की थी। शव परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी. 8 है जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं।

09. घटना दिनांक 19.10.2005 को रात के नौ बजे अभिमन्यु के गोली लगने से मृत्यु हो जाना अभियोजन साक्षी मनोज कुमार शर्मा अ0सा0 2, सूर्यप्रकाश अ0सा0 4 के कथनों में आया है। इस संबंध में थाना मौ के तत्कालीन थाना प्रभारी डी.जे.राय अ0सा0 5 के द्वारा मृतक की मृत्यु के पश्चात् शफीनाफार्म प्र.पी. 5 तैयार करना, लाश पंचायतनामा प्र.पी. 6 लेखबद्ध करना बताया है। इस प्रकार मृतक अभिमन्यु की मृत्यु हो जाना उक्त परिप्रेक्ष्य में प्रमाणित होना पाया जाता है।

10. मृतक अभिमन्यु की मृत्यु की प्रकृति का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में घटना

के फरियादी एवं चक्षुदर्शी साक्षी मनोज कुमार शर्मा अ0सा0 2 के द्वारा अभिमन्यु के गले में कट्टे से गोली लगना और जिससे उसके गले से काफी खून निकल आना और उसे थाना ले जाते समय रास्ते में उसकी मृत्यु हो जाना बताया है। इसी प्रकार इस संबंध में अन्य साक्षी सूर्यप्रकाश अ0सा0 4 अभिमन्यु को कट्टे से गोली मारी जाना और गोली लगने से अभिमन्यु गिर पडना और उसकी थाने ले जाते समय रास्ते में मृत्यु हो जाना बताया है। उपरोक्त संबंध में चिकित्सक डॉक्टर संजय जैन अ0सा0 3 के द्वारा भी मृतक को गर्दन में गोली लगना जो कि अग्नेयशस्त्र के द्वारा परीक्षण के 24 घण्टे के अंदर चोट पहुंचाई जाना और मृतक की मृत्यु का कारण खून का ज्यादा रिसाव होना और धमनियों का नष्ट होना बताया है। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट जो कि तत्कालीन थाना प्रभारी थाना मौ डी.जे.राय के द्वारा फरियादी मनोज शर्मा के द्वारा मृतक अभिमन्यु के शव को लाकर थाने में उपस्थित होने पर अप0क्र0 178/2005 अंतर्गत धारा 302 भा0दं0वि0 का अपराध पंजीबद्ध करना और इसके अतिरिक्त मृतक अभिमन्यु का शफीनाफार्म प्र.पी. 5 तैयार करना और लाश पंचायतनामा प्र.पी. 6 तैयार करना भी बताया है। शफीनाफार्म में कट्टे से गोली मारकर चोटें आने से मृतक की मृत्यु होने का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया है। मृतक अभिमन्यु की मृत्यु प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में हुए हो अथवा किसी बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हुई हो ऐसा भी कहीं दर्शित नहीं होता है। उसकी मृत्यु आत्महत्यात्मक प्रकार की हो ऐसा भी साक्ष्य से कहीं दर्शित नहीं है। इस प्रकार मृतक अभिमन्यु की मृत्यु जो कि उसकी गर्दन में गोली लगने के फलस्वरूप हुई मृत्यु की प्रकृति सदोष मानव वध की कोटि का होना पाया जाता है।

बिन्दु क्रमांक 3 :-

11. घटना के संबंध में घटना के फरियादी एवं चक्षुदर्शी बताए गए साक्षी मनोज शर्मा अ0सा0 2 अपने साक्ष्य कथन में आरोपीगण को जानना पहचानना स्वीकार करते हुए बताया है कि दिनांक 19.10.2005 को रात नौ बजे की बात है वह और उसका भाई अभिमन्यु गांव से मौ के लिए सहकारी संस्था में खाद की जानकारी लेने के लिए आए थे। जब खाद की जानकारी मिल गई तो वे लोग टैक्टर लेने के लिए वापस गांव जा रहे थे। रास्ते में वे लोग मुन्ना के ढाबा पर पहुँचकर बैठकर पानी पीने लगे तभी पुरानी रंजिश को लेकर गांव के बृजकिशोर, प्रदीप, इन्दर और गुलाब चारों लोग वाहें पर आए और उसके भाई अभिमन्यु से बोले कि बहुत बड़ा नेता हो गया है आज तुम्हें नहीं छोडेगें और जान से खत्म कर देगे। इतने में इन्दर ने पीछे से उसके भाई अभिमन्यु के बाल पकड़ लिये, बृजकिशोर और गुलाब दोनों ने उसे भाई के दोनों वाह पकड़ ली और प्रदीप ने जान से मारने की नियत से गले पर कट्टा रखकर फायर कर दिया। वह चिल्लाया तो उसके चिल्लाने पर सूर्यप्रकाश व नरेश कुमार दोनों

वहाँ तुरन्त आ गए। उसके भाई के गले से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। भाई को थाने ले जाते समय उसके भाई की मृत्यु हो गई थी। साक्षी ने यह भी बताया है कि उसने थाने में जाकर रिपोर्ट लिखाई थी जो प्र.पी. 2 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। थाने से उसके भाई को अस्पताल भेजा गया था। वहाँ पर उसके भाई का शव परीक्षण हुआ था। परीक्षण बाद लाश उसे प्राप्त हुई जो प्र.पी. 3 है जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने थाने पर सूचना दी जो कि मर्ग इंटीमेंशन रिपोर्ट प्र.पी. 4 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अस्पताल में शफीनाफार्म प्र.पी. 5 जारी किया गया था और लाश का पंचायतनामा बनाया गया था जो प्र.पी. 5 व 6 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसकी निशादेही पर पुलिस ने नक्शामौका बनाया था जो प्र.पी. 7 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

12. घटना के संबंध में अन्य अभियोजन साक्षी सूर्यप्रकाश अ0सा0 4 आरोपीगण को पहचानना स्वीकार करते हुए घटना दिनांक को अभिमन्यु और मनोज खाद की जानकारी लेने हेतु बाजार जाना और लौटते समय मुन्ना के ढावा पर उनके द्वारा पानी पीना और इसी दरम्यान गोली चलने की आवाज सुनकर घटनास्थल पर पहुँचना और आरोपी प्रदीप ने उसके सामने अभिमन्यु को कट्टा से गोली मारने और उनके साथ बृजकिशोर, गुलाब और इंदर शर्मा भी होना बताया है। गोली लगने से अभिमन्यु गिर पडना और चारों आरोपीगण घटनास्थल से उन लोगों को देखकर भाग जाना बताया है। अभिमन्यु को थाना ले जाते समय रास्ते में उसकी मृत्यु हो जाना और थाने पर रिपोर्ट लिखाई जाना भी साक्षी के द्वारा बताया गया है।

13. अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्षी मुन्ना अ0सा0 1 के द्वारा यह बताया गया है कि होटल पर रात को नो बजे मृतक अभिमन्यु के बैठे होने और इसी दौरान गोली चलने की आवाज सुनाई देना और अभिमन्यु के गले में गोली लगना और उसका घायल हो जाना बताया है। उक्त साक्षी को अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

14. घटना के पश्चात् घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट फरियादी मनोज कुमार शर्मा के द्वारा थाने पर आरोपीगण प्रदीप, बृजकिशोर, इंदर और गुलाब निवासीगण ग्राम तालोरी के खिलाफ दर्ज कराना जो कि धारा 302, 34 भा0द0वि0 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 2 लेखबद्ध करना साक्षी डी.जे.राय अ0सा0 5 के द्वारा बताया गया है। इस संबंध में मृतक अभिमन्यु की मृत्यु के संबंध में अकाल मृत्यु सूचना प्र.पी. 4 लेखबद्ध करना प्रधान आरक्षक मुन्नासिंह अ0सा0 7 के द्वारा बताया गया है। साक्षी डी.जे. राय अ0सा0 5 जिन्होंने कि प्रकरण की विवेचना की है जिसमें घटनास्थल का नक्शामौका प्र.पी. 7 तैयार करना, मृतक अभिमन्यु की मृत्यु के संबंध में शफीनाफार्म प्र.पी. 5 जारी करना, चले हुए राउण्ड की बुलेट जिस पर

खून लगा हुआ था, एक जोड़ी चप्पल साक्षियों के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 9 तैयार करना बताया है। इसके अतिरिक्त साक्षी मनोज कुमार, नरेशकुमार, सूर्यप्रकाश, मुन्ना खॉ के कथन लेखबद्ध करना भी उनके द्वारा बताया गया है। इसके अतिरिक्त आरोपी प्रदीप को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी. 11 तैयार करना और आरोपी से पूछताद कर धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के अनुसार मेमोरेण्डम कथन तैयार करना जिसमें कि आरोपी के द्वारा कट्टा बरामदगी की सूचना देना जो कि मेमोरेण्डम प्र.पी. 12 उसके द्वारा तैयार करना तथा उक्त मेमोरेण्डम के आधार पर आरोपी प्रदीप के द्वारा ग्राम तारौली के घर के छप्पर से लोहे का हाथ का बना हुआ देशी 315 बोर का कट्टा एवं चला हुआ राउण्ड 315 बोर का पेश करने पर जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 13 तैयार करना और उस पर हस्ताक्षर होना साक्षी भगवतीप्रसाद शर्मा अ0सा0 9 एवं विजय कुमार शर्मा अ0सा0 10 के द्वारा भी बताया गया है। यद्यपि उक्त दोनों ही साक्षीगण के द्वारा कार्यवाही का समर्थन न करने से उन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

15. प्रधान आरक्षक दीनदयाल शर्मा अ0सा0 6 जिन्होंने कि थाना मौ से आरक्षक के द्वारा लाए जाने पर मृतक अभिमन्यु के खून आलूदा कपड़ों की पोटली, शील नमूना जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 15 तैयार करना बताया है।

16. राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अनुसार परीक्षण हेतु भेजे गए प्र.ए1 की देशी निर्मित पिस्तौल 315 कैलीवर के कारतूस चलाने हेतु बनाया गया है और उसे चालू हालत में होना पाया गया है जिससे चलने से प्राणघातक चोटें आ सकती है। इसी प्रकार परीक्षण हेतु भेजे गई शर्ट प्रदर्श सी1 में उपस्थिति छिद्र गनशॉट छिद्र होना जो कि बुलेट ई.बी. 1 के लगने से बन सकता है, उक्त रिपोर्ट में आया है।

17. घटना के फरियादी मनोज कुमार शर्मा का विस्तृत प्रतिपरीक्षण बचाव पक्ष के द्वारा किया गया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने उसके और अभिमन्यु की आरोपीगण से बृक्षारोपण की भूमि के पट्टे के ऊपर से रंजिश होने की बात को स्वीकार किया है, किन्तु इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसने आरोपीगण को रंजिश के कारण झूठा फंसाया है। मात्र इस आधार पर कि बृक्षारोपण के पट्टे की भूमि को लेकर कोई विवाद या कोई रंजिश उनकी पूर्व की चल रही हो यह आरोपी को उसके भाई की हत्या जैसे गंभीर अपराध में झूठा लिप्त किये जाने का कोई आधार नहीं हो सकता है। साक्षी को मृतक अभिमन्यु के विरुद्ध चले अन्य प्रकरणों के संबंध में भी पूछा गया है, जिस संबंध में कि साक्षी ने जानकारी न होना बताया है। किन्तु यदि मृतक अभिमन्यु के विरुद्ध न्यायालय में प्रकरण चले भी है तो इस आधार पर कोई विपरीत अवधारणा नहीं की जा सकती है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी के द्वारा बताया गया कि

आरोपीगण जब होटल में घुसे तो आरोपी प्रदीप के हाथ में कट्टा था। उसने उन्हें पास से देखा था। आरोपी प्रदीप ने आते से ही कट्टे से फायर कर दिया था और अन्य आरोपीगण ने मृतक को पकड़ लिया था। साक्षी ने इस सुझाव को दृढ़तापूर्वक इन्कार किया है कि रात्रि के अंधेरे में उसके भाई अभिमन्यु को किसी और ने गाली मारी है और इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि आरोपी प्रदीप ने उसके भाई अभिमन्यु को कोई गोली नहीं मारी है।

18. यद्यपि यह सत्य है कि उक्त साक्षी मृतक अभिमन्यु का भाई है, किन्तु मात्र इस आधार पर कि वह मृतक का भाई है उसे हितबद्ध मानते हुए उसके साक्ष्य कथन को अविश्वसनीय मानने का कोई आधार नहीं हो सकता है। साक्षी के प्रतिपरीक्षण उपरांत उसके कथनों में उसके द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं धारा 161 दं.प्र.सं. के कथन एवं न्यायालय में हुए कथनों में कोई भी गंभीर या तात्त्विक प्रकार का विरोधाभास, बिसंगति अथवा लोप आना दर्शित नहीं होता है जिससे कि साक्षी की विश्वसनीयता प्रभावित होती हो। साक्षी के विस्तृत प्रतिपरीक्षण के दौरान उसके कथनों में सूक्ष्म प्रकार का विरोधाभास एवं बिसंगति स्वभाविक रूप से आ सकती है। साक्षी के द्वारा आरोपी प्रदीप को घटना में झूठा लिप्त किया जा रहा हो ऐसा भी मानने का कोई आधार अथवा कारण परिलक्षित नहीं होता है। साक्षी की घटनास्थल पर मौजूदगी जो कि अपने भाई मृतक अभिमन्यु के साथ घटना के समय होने के संबंध में कोई संदेह नहीं है जो कि घटना घटित होने के आधे घण्टे के अंदर उसने अपने मृतक भाई को थाने में ले जाकर घटना की रिपोर्ट लिखाई है। इस प्रकार साक्षी के प्रतिपरीक्षण उपरांत उसके कथन विश्वास योग्य होने पाए जाते हैं।

19. घटना के संबंध में फरियादी मनोज कुमार के कथन की सम्पुष्टि अभियोजन साक्षी सूर्यप्रकाश अ0सा0 4 के कथन से भी होती है जो कि घटना के समय घटनास्थल पर पहुँचना और उसके द्वारा घटना घटित होते हुए देखना बताया गया है और मृतक को थाने में वह ले गया था। उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण उपरांत उसके कथनों का जहाँ तक प्रश्न है, प्रतिपरीक्षण में बताया है कि वह घटना के समय घटनास्थल से 50 फिट की दूरी पर स्थित अपने चाचा नरेश के मकान में था और वह घर के चबूतरे पर बैठा हुआ था। आरोपी प्रदीप के पास होटल में जाते समय उसके हाथ में हथियार देख लिया था जो कि उसके हाथ में कट्टा देखा था। जब मुँहवाद की आवाज सुनकर होटल के पास पहुँचा तब अभिमन्यु को तख्त पर बैठा देखा था। आरोपी प्रदीप ने अभिमन्यु को सामने से ही गोली मारी थी जो कि गर्दन में लगकर आर पार हो गई थी और दूसरी गोली गले में लगकर बाँई पसली से निकल गई थी। साक्षी इस सुझाव से इन्कार किया है कि जब उसने गोली की आवाज सुनी और मुँहवाद की आवाज सुनी तब लाइट चली गई थी। इस प्रकार बचाव पक्ष के द्वारा उक्त से भी स्पष्ट है कि

उक्त साक्षी घटनास्थल पर घटना के समय आ गया था और इस सुझाव से भी दृढ़तापूर्वक इन्कार किया है कि वह घटनास्थल पर नहीं पहुँचा था और उसने घटना घटित होते हुए नहीं देखी थी।

20. उक्त साक्षी सूर्यप्रकाश अ0सा0 4 के घटनास्थल पर आने का तथ्य प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 2 में भी स्पष्ट रूप से बताया गया है। इस प्रकार उक्त साक्षी बाद में सोच समझकर या मृतक का रिस्तेदार होने के कारण साक्षी के रूप में बनाया गया हो ऐसा भी मानने का कोई आधार या कारण परिलक्षित नहीं होता है। साक्षी सूर्यप्रकाश के प्रतिपरीक्षण उपरांत उसके कथनों में उसके द्वारा पुलिस को दिए गए कथन एवं न्यायालय में हुए कथनों में कोई भी तात्त्विक प्रकार का विरोधाभास, बिसंगति अथवा लोप आना दर्शित नहीं होता है जिससे कि साक्षी की विश्वसनीयता प्रभावित होती हो। इस प्रकार साक्षी सूर्यप्रकाश के कथन के आधार पर भी अभियोजन प्रकरण की सम्पुष्टि होनी पाई जाती है।

21. घटना के संबंध में घटना का अन्य चक्षुदर्शी साक्षी मुन्ना अ0सा0 1 जिसके कि होटल में घटना घटित होनी बताई जा रही है। उक्त साक्षी के द्वारा यद्यपि अपने साक्ष्य कथन में सम्पूर्ण घटनाक्रम के संबंध में अभियोजन प्रकरण का समर्थन नहीं किया है, जिस कारण उसे अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। मात्र इस आधार पर कि उक्त साक्षी को अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है उसके सम्पूर्ण कथन दरकिनार करने का कोई आधार नहीं हो सकता है। जैसा कि इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा **सतपालसिंह वि0 दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ए.आई.आर. 1976 पे. 294, स्टेट ऑफ यू.पी. वि0 चेताराम ए.आई.आर. 1989 एस.सी. 1543, खुज्जी उर्फ सुरेन्द्र तिवारी वि0 स्टेट ऑफ एम.पी. ए.आई.आर 1991 एस.सी. 1853** में यह अवधारित किया गया है कि गवाह यदि पक्षद्रोही हो गए तो इस कारण उसकी पूरी साक्ष्य वासआउट या निरर्थक नहीं हो जाती है। साक्षी मुन्ना के कथन से घटना दिनांक को रात के नौ बजे उसके होटल पर मृतक अभिमन्यु के मौजूद होने एवं होटल पर गोली चलने और अभिमन्यु को गोली लगने के संबंध में उसके द्वारा मुख्य परीक्षण में आया है। इस प्रकार उक्त साक्षी के कथन से भी घटना के समय घटनास्थल पर मृतक अभिमन्यु के मौजूद होने और उसे गोली लगने के संबंध में अभियोजन प्रकरण की सम्पुष्टि होनी पाई जाती है।

22. यह उल्लेखनीय है कि घटना जो कि 21:00 बजे की होनी बताई गई है। घटना के पश्चात् घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना मौ में 21:30 बजे फरियादी मनोज के द्वारा दर्ज कराई गई है। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 2 रिपोर्टकर्ता मनोज शर्मा अ0सा0 2 तथा रिपोर्ट लेखक डी.जे. राय अ0सा0 5 के कथन से भी प्रमाणित है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में

स्पष्ट रूप से वर्तमान आरोपी प्रदीप के घटनास्थल पर कट्टा से मृतक अभिमन्यु की फायर करने और उसे चोट आकर उसके थाने ले जाते समय रास्ते में मृत्यु हो जाने के संबंध में स्पष्ट रूप से उल्लेख आया है। इस प्रकार घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना के तुरन्त पश्चात् बिना किसी बिलम्ब के युक्तियुक्त समय के अंतर्गत नामजद रूप से और वर्तमान आरोपी के द्वारा किए गए कृत्य का उल्लेख करते हुए दर्ज कराई गई है जो क अभियोजन प्रकरण की सम्पुष्टि हेतु एक महत्वपूर्ण प्ररिस्थिति होनी स्पष्ट होती है।

23. घटना के पश्चात् मृतक अभिमन्यु का शव परीक्षण जो कि डॉक्टर संजय जैन अ0सा0 3 के द्वारा किया गया है। उक्त साक्षी के द्वारा भी मृतक के गर्दन में दाहिनी तरफ इंटीरियल और लेटरल सर्पेश के मिलान पर दाहिनी क्लेरिकल हड्डी के मिडिल पार्ट के 5 से. मी. ऊपर 3 से.मी. चौड़ी एवं 4 से.मी. लम्बा प्रवेशन घाँव पाया था जिसमें कालापन पाया गया था और निकासी घाँव 1 से.मी. गुणा 1 से.मी. आकार का गोलाकार वाई बाजू के पीछे के हिस्से में कोनी के करीब 5 से.मी. उपर जिसकी सतह मुड़ी हुई पाई थी। मृतक के कपडे साफ़ी, शर्ट में छेद के निशान पाए थे। मृतक को उक्त चोटें अग्नेयशस्त्र से 24 घण्टे के अंदर की पहुँचाई गई होनी एवं मृतक की मृत्यु का कारण खून का ज्यादा रिसाव जो कि धमनियों के नष्ट होने की बजह से परीक्षण के 4 से 24 घण्टे के अंदर की होनी बताई है। चिकित्सक डॉक्टर संजय जैन के प्रतिपरीक्षण उपरांत उनके कथनों में कोई भी विपरीत तथ्य नहीं आया है। परीक्षण के समय मृतक के शरीर पर रायगर मोटिस पाया गया हो जो कि घटना रात के नो बजे की होनी बताई गई है और शव परीक्षण दूसरे दिन 08:55 बजे किया गया है। इस प्रकार रायगर मोटिस शरीर पर होना स्वभाविक है। मृतक को आई हुई चोटों में कालापन भी होना पाया गया है जो कि इस बात की पुष्टि करता है कि उसे नजदीक से गोली मारी गई है। इस प्रकार मृतक को गोली लगने के संबंध में चक्षुदर्शी साक्षियों के द्वारा जो बात अपने साक्ष्य कथन में बताई गई है उसकी पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य के आधार पर भी होनी पाई जाती है। इस प्रकार चिकित्सीय साक्ष्य पूर्णतः प्रकरण में चक्षुदर्शी साक्ष्य के संगत है।

24. दांडिक मामलों में किसी तथ्य को सावित करने के लिए साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं होती है। इस संबंध में धारा 134 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत भी यह स्पष्ट प्रावधान है कि किसी तथ्य को सावित करने के लिए साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं होगी। निश्चित रूप से साक्षियों की मात्रा पर नहीं अपितु उसकी गुणवत्ता देखी जानी चाहिए। जैसा कि इस संबंध में **जोसेफ वि० स्टेट ऑफ केरल (2003)1 एस.सी.सी. 465, लालू माझी वि० स्टेट ऑफ झारखण्ड 2003(2) एस.सी.सी. 401** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह अवधारित किया गया है कि

किसी तथ्य को स्थापित करने के लिए साक्षियों की कोई संख्या अपेक्षित नहीं है, यदि एक मात्र साक्षी की साक्ष्य पूरी तरह विश्वास योग्य पाई जाती है तो उस पर दोषसिद्ध स्थिर रखी जा सकती है। निश्चित रूप से वर्तमान प्रकरण का जहाँ तक प्रश्न है, प्रकरण में अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्षीगण अशोक कुमार अ0सा0 4 और अमरसिंह अ0सा0 7 जो कि घटना के चक्षुदर्शी साक्षी हैं उनके कथन प्रतिपरीक्षण उपरांत पूरी तरह विश्वास योग्य होने पाए गए हैं।

25. बचाव पक्ष के द्वारा अपने तर्क के दौरान बचाव में अभियोजन प्रकरण को संदिग्ध मामले के संबंध में जो आधार लिये गए हैं—

1. अभियोजन साक्षी हितबद्ध साक्षी है जो कि मृतक के रिस्तेदार होकर उसके संबंधी है।
2. स्वतंत्र साक्षी के द्वारा अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं किया गया है।
3. साक्षियों के कथनों में महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विरोधाभास, विसंगति व लोप आया है।
4. घटनास्थल के नक्शामौका में वस्तुस्थिति स्पष्ट न होने से संदेहास्पद है।
5. आरोपी एवं फरियादी के मध्य पूर्व रंजिश।

26. बचाव पक्ष के द्वारा लिया गया प्रथम आधार कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी मृतक के रिस्तेदार है इस कारण उक्त साक्षीगण हितबद्ध साक्षी है। हितबद्ध साक्षियों के कथन पर विश्वास करते हुए आरोपी को दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता है। इस संबंध में यद्यपि यह सत्य है कि अभियोजन साक्षीगण मनोज शर्मा अ0सा0 2 तथा साक्षी सूर्यप्रकाश अ0सा0 4 आपस में रिस्तेदार है, किन्तु मात्र इस आधार पर कि उक्त साक्षीगण मृतक के रिस्तेदार है उनके साक्ष्य को हितबद्ध मानते हुए उन्हें अविश्वसनीय मानने का कोई आधार नहीं हो सकता है। जैसा कि इस बिन्दु पर **दिलीपसिंह वि० स्टेट ऑफ पंजाब ए.आई. आर. 1953 एस.सी. 354 एवं स्वर्णसिंह वि० स्टेट ऑफ पंजाब (1976)4 एस.सी.सी. 369 एवं मानो वि० स्टेट ऑफ तमिलनाडू 2007 सी.आर.एल.जे. 2736 एस.सी. एवं बीरेन्द्र पोद्दार वि० स्टेट ऑफ विहार ए.आई.आर. 2011 एस.सी. 233** उल्लेखनीय है जिनमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह अवधारित किया गया है कि मात्र निकट संबंधी होने के आधार पर साक्षीगण की साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई आधार नहीं माना जा सकता है, जबतक कि यह विचार करने का कोई कारण या आधार न हो कि ऐसे आरोपी को साक्षी मिथ्या फसाने में रुचि रखते हों और आरोपी को झूठा लिप्त किये जाने के संबंध में कोई उचित नींव रखी जानी आवश्यक है। यद्यपि ऐसे गवाह की साक्ष्य पर सावधानी से छानवीन करने की आवश्यकता बताई गई है।

27. वर्तमान प्रकरण का जहाँ तक प्रश्न है, प्रकरण में आई हुई साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में कहीं भी ऐसा परिलक्षित नहीं होता है कि वर्तमान आरोपी को मृतक अभिमन्यु की हत्या के संबंध में प्रकरण में झूठा फसाया जा रहा है अथवा किसी रंजिश के कारण उसे लिप्त किया जा रहा हो। अभियोजन साक्षी मनोज कुमार शर्मा अ0सा0 2 व साक्षी सूर्यप्रकाश अ0सा0 4 के सम्पूर्ण साक्ष्य उपरांत उक्त साक्षीगण के द्वारा मात्र मृतक पक्ष से हितबद्ध होकर अथवा आरोपीगण से रंजिशवस उन्हें झूठा लिप्त किये जाने का कोई भी आधार या कारण परिलक्षित नहीं होता है। ऐसी दशा में मात्र इस आधार पर कि उक्त साक्षीगण मृतक अभिमन्यु के उक्त साक्षीगण संबंधी है उनके कथन को अविश्वसनीय मानने का कोई आधार नहीं हो सकता है। इस संबंध में **स्टेट ऑफ यू.पी. वि0 सुबोधनाथ (2009)6 एस.सी.सी. 600** में यह प्रतिपादित किया गया है कि यह सामान्य मानवीय स्वभाव है कि रिस्तेदार साक्षीगण उनके रिस्तेदार की हत्या के मामले में किसी अन्य व्यक्ति को नहीं फसाएंगे और यह चाहेंगे कि असली अपराधी दंडित हो। ऐसी दशा में आरोपी प्रदीप उर्फ हरेन्द्र शर्मा को मात्र मृतक के रिस्तेदार होने के आधार पर साक्षीगण के द्वारा झूठा लिप्त किया जा रहा हो और उसके विरुद्ध कथन किये जा रहे हो ऐसा मानने का कोई आधार नहीं है एवं न ही उक्त आधार सम्पूर्ण अभियोजन प्रकरण को संदेहास्पद मानने का कोई आधार है।

28. बचाव पक्ष के द्वारा लिया गया अन्य आधार कि स्वतंत्र साक्षी के द्वारा घटना का समर्थन नहीं किया गया है। यद्यपि इस संबंध में घटना के संबंध में चक्षुदर्शी साक्षी बताए गए साक्षी मुन्ना खॉ अ0सा0 1 जिसके ढाबे में कि घटना घटित होनी बताई जा रही है के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में उसके ढाबे में घटना घटित होने और अभिमन्यु को गोली लगाना बताया है, शेष तथ्य के संबंध में उसके द्वारा अभियोजन प्रकरण का समर्थन नहीं किया गया है जो कि उसके द्वारा लाइट चली जाने के कारण मारने वाले को न देख पाना बताया है। साक्षी मुन्ना जो कि ढाबा चलाता है, यदि उसके द्वारा किन्हीं अज्ञात कारणों से अभियोजन प्रकरण का समुचित रूप से समर्थन नहीं किया जा रहा हो वह अभियोजन प्रकरण का समर्थन नहीं कर रहा है तो मात्र इस आधार पर कि उसके द्वारा अभियोजन प्रकरण का समर्थन नहीं किया जा रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में जबकि घटना के चक्षुदर्शी साक्षी एवं अन्य साक्ष्य के आधार पर अभियोजन प्रकरण की पुष्टि होती है। मात्र कथित रूप से स्वतंत्र साक्षी के द्वारा अभियोजन प्रकरण का समर्थन न करने मात्र के आधार पर सम्पूर्ण प्रकरण अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है।

29. घटना के चक्षुदर्शी साक्षियों के कथनों में विरोधाभास एवं बिसंगति का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में यद्यपि अभियोजन साक्षियों के कथनों में कतिपय विरोधाभास एवं

बिसंगति आई है, किन्तु उक्त वर्णित साक्षी मनोज कुमार शर्मा अ0सा0 2 व सूर्यप्रकाश अ0सा0 4 घटना के समय मौके पर मनोज कुमार शर्मा के उपस्थित होने एवं साक्षी सूर्यप्रकाश के आ जाना अभियोजन साक्ष्य से प्रमाणित है। साक्षियों के प्रतिपरीक्षण के दौरान जो कि उनका चातुर्यपूर्ण प्रतिपरीक्षण किया गया है इस दौरान कतिपय विरोधाभास, बिसंगति अथवा लोप व आधिक्य आना संभव है। मात्र इस आधार पर साक्षियों के कथों में कतिपय विरोधाभास एवं विसंगति आई है सम्पूर्ण कथन अविश्वसनीय मानने अथवा उसे दरकिनार करने का कोई आधार नहीं हो सकता है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा **शिवप्पा बगैरह वि० स्टेट ऑफ कर्नाटक 2008 सी.आर.एल.जे. 2992, मेहरवान वि० स्टेट ऑफ एम.पी. ए.आई.आर 1997 एस.सी. 1528** में यह अवधारित किया गया है कि साक्षियों के कथनों में कतिपय विरोधाभास, बिसंगति, आधिक्य के आधार पर उनके सम्पूर्ण साक्ष्य कथन दरकिनार करने का कोई आधार नहीं हो सकता है। साक्षियों की सामाजिक पृष्ठभूमि घटना घटित होने के उपरांत से साक्ष्य होने तक के दिनांक के बीच के अंतराल को देखते हुए इस प्रकार की बिसंगति व विरोधाभास आना स्वभाविक है।

30. बचाव पक्ष के द्वारा अपने तर्क में यह भी आधार लिया गया है कि जिस स्थान पर मृतक अभिमन्यु को गोली लगने और उसके कारण उसकी मृत्यु होनी बताई जा रही है उस स्थान को नक्शामौका में नहीं दर्शाया गया है। ऐसी दशा में जबकि नक्शामौका में मृतक को गोली लगने के स्थान को ही नहीं दर्शाया गया है जो कि अभियोजन प्रकरण को संदेहास्पद बनाता है। इस संबंध में बचाव पक्ष के द्वारा यह भी आधार लिया गया है कि विवेचना अधिकारी डी.जे.राय अ0सा0 5 के द्वारा अपने कथन में स्वीकार किया गया है कि जिस स्थान पर मृतक अभिमन्यु की मृत्यु हुई उस स्थान का नक्शामौका नहीं बनाया गया था।

31. घटनास्थल का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 2 जो कि घटना के तुरन्त पश्चात् बिना किसी बिलम्ब के थाने में दर्ज कराई गई है उसमें स्पष्ट रूप से मुन्ना के ढाबा पर जब तखत पर बैठकर पानी पी रहे थे इसी दौरान कट्टा से फायर आरोपी प्रदीप के द्वारा करना और उसे तखत पर गिर जाना बताया गया है और उसके पश्चात् रिपोर्ट करने हेतु आते समय रास्ते में उसकी मृत्यु हो जाने का उल्लेख आया है। घटनास्थल पर मृतक अभिमन्यु की मृत्यु नहीं हुई है, बल्कि रास्ते में थाना लाते समय उसकी मृत्यु हुई है। नक्शामौका प्र.पी. 7 में मुन्ना के ढाबे और तखत जिस स्थान पर मृतक बैठा था उसे स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है और तखत के आस पास और वहाँ पर पड़े हुए चप्पलों में खून होना भी पाया गया है जैसा कि नक्शामौका में स्पष्ट रूप से उल्लेख है। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि खून आलूदा मिट्टी और चप्पलों की जप्ती भी घटनास्थल से प्र.

पी. 9 के अनुसार हुई है। अभिमन्यु को गोली मारे जाने की घटना ढाबे में होना ढाबा मालिक मुन्ना खॉ द्वारा भी बताया गया है तथा चक्षुदर्शी साक्षी मनोज कुमार शर्मा के अ.सा. 2 के द्वारा भी गोली मारने के स्थान को स्पष्ट रूप से बताया गया है। ऐसी दशा में जबकि मृतक की मृत्यु थाने ले जाते समय रास्ते में होनी बताई जा रही है। मृत्यु के स्थान को यदि नक्शामौका में नहीं दर्शाया गया है तो इससे अभियोजन प्रकरण की विश्वसनीयता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।

32. बचाव पक्ष के द्वारा अपने तर्क में यह भी आधार लिया गया है कि पुरानी रंजिश के कारण आरोपी प्रदीप को घटना में झूठा लिप्त किया गया है। मृतक अभिमन्यु जो कि आपराधिक किश्म का व्यक्ति था और उस पर कि कई अपराध भी पंजीबद्ध थे। उसकी हत्या किन्हीं अन्य दुश्मनों के द्वारा कर दी गई है और पूर्व रंजिश के कारण आरोपी को झूठा फंसाया गया है।

33. सर्वप्रथम रंजिश के कारण घटना घटित होने का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट में ही इस बात का उल्लेख है कि पुरानी रंजिश को लेकर के अभिमन्यु को गोली मारी गई है। बचाव पक्ष के द्वारा कहीं भी इस तथ्य को प्रमाणित नहीं कराया गया है कि पूर्व रंजिश के कारण उन्हें झूठा लिप्त किया गया है। रंजिश का जहाँ तक प्रश्न है, यह द्विधारी तलवार के रूप में होती है। रंजिश के कारण व्यक्ति या व्यक्तियों को गलत फंसाया भी जा सकता है और रंजिश के कारण कोई घटना घटित भी की जा सकती है। वर्तमान प्रकरण का जहाँ तक प्रश्न है, वर्तमान प्रकरण में आरोपी प्रदीप उर्फ हरेन्द्र शर्मा को रंजिश के कारण झूठा लिप्त किया जा रहा हो ऐसा कहीं भी सम्पूर्ण साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में प्रमाणित नहीं है। इस बिन्दु पर बचाव पक्ष के द्वारा भी कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है।

34. जहाँ तक मृतक अभिमन्यु के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध होने और उसके अपराधी प्रवृत्ति के होने का प्रश्न है, इस संबंध में धारा 54 साक्ष्य अधिनियम के अनुसार “दांडिक कार्यवाही में यह तथ्य कि अभियुक्त व्यक्ति बुरे शील का है, असंगत है, जबतक कि इस बात की साक्ष्य नहीं दी गई हो कि वह अच्छे शील का है, जिसके दिए जाने की दशा में वह सुसंगत हो जाता है।” वर्तमान प्रकरण में कहीं भी मृतक अभिमन्यु किसी प्रकरण में दोषसिद्ध ठहराया गया हो ऐसा कोई भी प्रमाण बचाव पक्ष के द्वारा प्रमाणित नहीं कराया गया है। इसके अतिरिक्त मृतक के अच्छे शील होने के संबंध में कोई साक्ष्य भी पेश नहीं की गई है। ऐसी दशा में मात्र इस आधार पर कि मृतक के विरुद्ध कुछ प्रकरण पंजीबद्ध थे इस कारण उसकी हत्या होने के उपरान्त आरोपी को झूठा लिप्त किसी रंजिश के कारण किया जा रहा है ऐसा प्रमाणित नहीं होता है।

35. इस प्रकार प्रकरण में अभियोजन साक्ष्य के आधार पर यह तथ्य संदेह से परे प्रमाणित होना पाया जाता है कि आरोपी प्रदीप उर्फ हरेन्द्र के द्वारा जो कि अन्य सहआरोपीगण ब्रजकिशोर, इन्दर व गुलाब के साथ घटनास्थल मुन्ना ढाबा बेहट रोड में मृतक अभिमन्यु की हत्या करने के आशय से उस पर कट्टे से फायर किया। आरोपी के द्वारा मृतक अभिमन्यु के गर्दन पर फायर किया गया था जो कि स्पष्ट रूप से उसके मृतक की हत्या करने आशय एवं ज्ञान को दर्शाता है।

बिन्दु क्रमांक 4:-

36. अभियोजन के द्वारा आरोपी प्रदीप उर्फ हरेन्द्र के आधिपत्य से एक 315 बोर का कट्टा उसके आधिपत्य में अवैध रूप से रखा होना और उसे बरामद करना बताया गया है। इस बिन्दु पर जप्तीकर्ता अधिकारी डी.जे.राय अ0सा0 5 जिन्होंने अपने साक्ष्य कथन में दिनांक 10.03.2006 को आरोपी प्रदीप उर्फ हरेन्द्र को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी 11 बनाना और आरोपी प्रदीप उर्फ हरेन्द्र से पूछताछ कर धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के अनुसार मेमो प्र.पी. 12 तैयार करना जिसमें कि उसके द्वारा घर के आँगन में बने छप्पर में से 315 बोर का कट्टा बरामद कराना बताया था। आरोपी प्रदीप के मेमोरेण्डम कथन के आधार पर ग्राम तारोली में उसके घर की छप्पर से लोहे के देशी हाथ निर्मित 315 बोर का कट्टा तथा चला हुआ 315 बोर का राउण्ड जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 13 तैयार करना बताया है।

37. जप्तीकर्ता अधिकारी डी.जे.राय अ0सा0 5 के द्वारा की गई उपरोक्त जप्ती की कार्यवाही जो कि जप्ती पत्रक प्र.पी. 13 के अनुसार उनके द्वारा आरोपी प्रदीप से एक कट्टा 315 बोर का एवं कारतूस के खाली खोखे की जप्ती की जानी बताई गई है। इस संबंध में जप्ती के स्वतंत्र साक्षी भगवतीप्रसाद शर्मा अ0सा0 9 व विजय कुमार शर्मा 10 के द्वारा जप्ती की कार्यवाही का समर्थन नहीं किया गया है और दोनों साक्षी पक्षद्रोही रहे हैं, किन्तु उक्त दोनो ही साक्षीगण भगवती प्रसाद शर्मा व विजयकुमार शर्मा के जप्ती पत्रक प्र.पी. 13 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। उक्त साक्षीगण के द्वारा किन्हीं अज्ञात कारणों से जप्ती की कार्यवाही का समर्थन नहीं किया गया है, किन्तु इस संबंध में जप्तीकर्ता अधिकारी डी.जे.राय अ0सा0 5 के प्रतिपरीक्षण उपरांत कोई विपरीत तथ्य नहीं आया है। मात्र इस आधार पर कि उक्त साक्षी पुलिस अधिकारी है उसके साक्ष्य कथन को अविश्वसनीय मानने का कोई आधार नहीं हो सकता है। इस बिन्दु पर **करमजीतसिंह विरूद्ध स्टेट (2003)5 एस.सी.सी. 2929 एवं बाबूलाल वि0 स्टेट ऑफ़ एम.पी. 2004 (2) जे.एल.जे.425** में यह अवधारित किया गया है कि पुलिस कर्मचारी की साक्ष्य को सामान्य साक्ष्य की तरह लेना चाहिए। ऐसा कोई नियत नहीं है कि स्वतंत्र साक्षी की पुष्टि के बिना पुलिस कर्मचारी की

साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता। बिना किसी अच्छे आधार के पुलिस कर्मचारी की साक्ष्य पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए। इसी प्रकार **स्टेट ऑफ आसाम वि० मोहिम बरकाताकी ए.आई.आर. 1987 एस.सी. 98** में भी यह अवधारित किया गया है कि कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी हो मात्र इस आधार पर उसकी साक्ष्य अविश्वसनीय नहीं हो जाती जबतक कि अभियुक्त उसके प्रतिकूल होने का तथ्य न हो। साक्षी के द्वारा आरोपी प्रदीप को झूठा लिप्त किया जा रहा हो ऐसा भी मानने का कोई आधार नहीं है। इस प्रकार आरोपी प्रदीप उर्फ हरेन्द्र के आधिपत्य से 315 बोर का कट्टा एवं एक कारतूस का खाली खोखा की जप्ती का तथ्य प्रमाणित है।

38. उपरोक्त जप्तशुदा कट्टा एवं कारतूस का खाली खोखा का राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला के द्वारा परीक्षण किया गया है और परीक्षण में 315 बोर के कट्टे को चालू हालत में होना और फायर करने हेतु प्रयोग में लाया जा सकना पाया गया है और जप्तशुदा कारतूस को उससे चलाया जा सकना पाया गया है जो कि इस संबंध में राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट से स्पष्ट है।

39. आरोपी प्रदीप कुमार शर्मा उर्फ हरेन्द्र के संबंध में आयुध अधिनियम के अंतर्गत अभियोजन चलाए जाने की स्वीकृति तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी आर.ए. खण्डेलवाल के द्वारा प्रदान की गई है। इस बिन्दु पर साक्षी अनिल कुमार सोनी अ०सा० 08 तत्कालीन आर्म्स क्लर्क जिला दण्डाधिकारी कार्यालय भिण्ड के द्वारा आरोपी प्रदीप के विरुद्ध अभियोजन चलाए जाने की स्वीकृति प्रदर्श पी 16 के अनुसार दिया जाना और उस पर ए से ए भाग पर तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी आर.ए. खण्डेलवाल के हस्ताक्षर होना प्रमाणित किया है। इस प्रकार उक्त आरोपी के संबंध में आयुध अधिनियम के अंतर्गत अभियोजन चलाए जाने की स्वीकृति भी प्रमाणित है।

40. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आरोपी प्रदीप उर्फ के आधिपत्य से बिना लाइसेंस के अग्नेयशस्त्र 315 बोर का कट्टा एवं एक कारतूस का खाली खोखा बरामद होना प्रमाणित होता है जो कि धारा 3 आयुध अधिनियम का उल्लंघन होने से उसके विरुद्ध धारा 25-1(1-बी)ए आयुध अधिनियम का अपराध प्रमाणित होना पाया जाता है।

41. आरोपी के द्वारा उक्त 315 बोर के कट्टे को मृतक अभिमन्यु की हत्या करने हेतु प्रयुक्त किये जाने के संबंध में जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि घटना स्थल से घटना के पश्चात् प्रदर्श पी. 9 के अनुसार एक चले हुए राउण्ड बुलेट की जप्ती विवेचना अधिकारी डी.जे.राय अ०सा० 9 के द्वारा की जानी बताई गई है। आरोपी के आधिपत्य

से 315 बोर के कट्टे की जप्ती होना और उक्त कट्टा चालू हालत में होना पूर्ववर्ती विवेचना के आधार पर प्रमाणित है। राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अनुसार परीक्षण हेतु भेजा गया चला हुआ खाली खोखा कारतूस का ई.सी.1 तथा चले हुए 315 बोर के कारतूस की बुलेट ई.बी.1 को जप्तशुदा देशी निर्मित 315 बोर की पिस्तोल से फायर किया जा सकने के संबंध में अभिमत दिया गया है तथा मृतक की शर्ट सी1 पर जो छिद्र होना पाया गया है वह कॉपर जैकेटेड बुलेट ई.बी. 1 के लगने से बना होना अभिमत में आया है। इस प्रकार घटना में आरोपी प्रदीप के द्वारा 315 बोर का कट्टा प्रयुक्त किया जाना आई हुई साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित होता है।

42. उपरोक्त विवेचना एवं विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में आरोपी प्रदीप के द्वारा घटना दिनांक को घटना दिनांक समय स्थान पर मृतक अभिमन्यु की साशय या जानबूझकर उसकी मृत्यु कारित कर हत्या करने का तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित प्रमाणित होना पाया जाता है। आरोपी प्रदीप उर्फ हरेन्द्र के आधिपत्य से 315 बोर का कट्टा (पिस्तोल) की बरामदगी जिसको रखने हेतु उसके पास कोई लाइसेंस न होना और आरोपी के द्वारा उक्त अवैध हथियार का प्रयोग घटना कारित करने में प्रयुक्त किया जाना भी प्रमाणित होता है। तदनुसार आरोपी प्रदीप उर्फ हरेन्द्र को धारा 302 भा0द0वि0 एवं धारा 25-1(1-बी)ए एवं धारा 27 आयुध अधिनियम आरोप हेतु दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

43. दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय लेखन स्थगित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(जी.सी.थपलियाल)

अपर सत्र न्यायाधीश

गोहद, जिला भिण्ड

44. दण्ड के प्रश्न पर आरोपी एवं शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक को सुना गया। अपर लोक अभियोजक के द्वारा व्यक्त किया गया कि मामले के तथ्यों, परिस्थितियों को देखते हुए विधि के द्वारा विहित अधिकतम दण्ड से आरोपी को दण्डित किया जाए। वर्तमान प्रकरण का जहाँ तक प्रश्न है, प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुए तथा आरोपी जिसके संबंध में पूर्व में कोई दोषसिद्ध होनी भी प्रमाणित नहीं है को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान प्रकरण बिरल से बिरलतम मामलों की श्रेणी में नहीं

आता है जो कि इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ए.आई.आर. 1980 एस.सी. 898 बचनसिंह विरुद्ध पंजाब राज्य एवं ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 947 माचीसिंह बनाम पंजाब राज्य में बिरल से बिरलतम प्रकरणों की स्थिति दर्शाई गई है। फलतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों एवं प्रकृति को देखते हुए आरोपी को उपरोक्त दोषसिद्ध ठहराये गये अपराध हेतु धारा 302 भा0द0वि0 के अपराध हेतु **आजीवन कारावास** एवं **1000/-** रूपए के अर्थदण्ड से तथा धारा 25-1(1-बी)ए आयुध अधिनियम के अपराध **02 वर्ष सश्रम कारावास** एवं **700/-** रूपए अर्थदण्ड व धारा 27 आयुध अधिनियम के अपराध हेतु **03 वर्ष सश्रम कारावास** एवं **800/-** अर्थदण्ड से दंडित किये जाने का आदेश दिया जाता है। अर्थदण्ड जमा न करने की दशा में उपरोक्त वर्णित धाराओं के अंतर्गत क्रमशः तीन वर्ष, तीन माह, चार माह अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताए जाने का आदेश दिया जाता है।

45. आरोपी को प्रदत्त उपरोक्त सभी धाराओं की सजाएं एक साथ भुगताए जाने का आदेश दिया जाता है।

46. प्रकरण के अनुसंधान, जाँच एवं विचारण के दौरान न्यायिक निरोध में भुगताई गई सजा मूल सजा में मुजरा की जाए। इस संबंध में धारा 428 दं.प्र.सं. का प्रमाणपत्र तैयार हो।

47. प्रकरण में जप्तशुदा खून आलूदा मिट्टी, सादी मिट्टी व एक जोड़ी चप्पल मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जाए। प्रकरण में जप्तशुदा एक 315 बोर का कट्टा व एक 315 बोर के राउण्ड का खोखा व चली हुई बुलेट अपील अवधि पश्चात् निराकरण हेतु जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को भेजा जावे। अपील होने के दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित

हस्ताक्षरित एवं घोषित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी.सी.थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

(डी.सी.थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0